

और एक (नमित कुमार, जे.)

नमित कुमार जे. के समक्ष

राधे शाम सिंगल और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य प्रतिवादी

2022 का सी. आर. एम.-एम. सं. 46210

08 दिसंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 439 (2), 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. 120-बी, 406,420,467,468,471,506-जमानत रद्द करना-धोखाधड़ी सब कुछ खराब कर देती है-जमानत इस वचन के आधार पर दी गई थी कि पूरा भुगतान छह महीने की अवधि के भीतर किया जाए-शिकायतकर्ता ने धारा 439 (2)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि समझौते का उल्लंघन करते हुए जमानत रद्द करने के लिए जमानत रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसी अदालत द्वारा रद्द करना अनुचित है क्योंकि यह अपने ही आदेश की समीक्षा करने जैसा होगा जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है और आगे तर्क दिया है की अदालत में जमानत नहीं लगाई है समझौते के तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी नियम और शर्त कि उक्त समझौते केकिसी भी उल्लंघन के मामले में शिकायतकर्ता जमानत रद्द करने के लिए आवेदन तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगा, और मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को नियमित जमानत पर बढ़ा दिया गया था- याचिका खारिज- माना गया, याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता के साथ समझौते के आधार पर नियमित जमानत मिल गई है औरउसने शिकायतकर्ता के साथ-साथ निचली अदालत के साथ भी धोखाधड़ी की है, इसलिय वह किसी राहत का हकदार नहीं है।

माना जाता है कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता-रवि कुमार गुप्ता के साथ धोखाधड़ी की है क्योंकि उनके बेटे का इलाज कराने के बहाने, जो स्थायी रूप से विकलांग था, विदेश से उससे पैसे निकाले।इसके बाद शिकायतकर्ता के साथ समझौते के आधार पर उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत से दिनांक 28.08.2020 के आदेश के अनुसार नियमित जमानत मिली, लेकिन समझौते के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके इलावा आंशिक भुगतान के लिए Rs.25lacs अनादरिक्त चेक जारी किया।याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के साथ-साथ निचली अदालत के साथ धोखाधड़ी की है।

(पैरा 13)

याचिकाकर्ताओं की ओर से जी. सी. शाहपुरी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी नं. 2 की ओर से पी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता और दीपक टुटेजा, अधिवक्ता।

नामित कुमार, जे।

(1) यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित दिनांक 15.09.2022 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत उन्हें धारा 120-बी, 406,420,467,468,471,506 भ.द.स. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 260 दिनांक 4.08.2020 थाना तरोरी, जिला करनाल में दर्ज की हुई रद्द कर दी।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 04.08.2020 पर, शिकायतकर्ता रवि कुमार गुप्ता ने पुलिस के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उनका 20 साल का बेटा अक्षय वर्ष 2017 में एक सड़क दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग हो गया था। संदीप (याचिकाकर्ता संख्या 2) ने शिकायतकर्ता को अपने बेटे का विदेश के किसी बड़े अस्पताल से इलाज कराने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उसके बहनोई राधे श्याम (याचिकाकर्ता संख्या 1) और उसके साथी अमित कुमार के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दोस्त और व्यापारिक संबंध हैं और वे शिकायतकर्ता को विदेश में उसके बेटे का इलाज कराने में सहायता करेंगे। याचिकाकर्ता नंबर 2 पर विश्वास करते हुए, शिकायतकर्ता ने उसे अपने बेटे की मेडिकल रिपोर्ट दी और कुछ दिनों बाद, याचिकाकर्ता नंबर 2 ने कहा कि उसके बेटे को न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में स्थित एक बड़े अस्पताल में इलाज की आवश्यकता होगी और वह पहले ही अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर चुका है जिन्होंने आश्वासन दिया था कि शिकायतकर्ता का बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में उपचार में लगभग एक से दो साल लगेंगे और सुझाव दिया कि शिकायतकर्ता अपने पूरे परिवार के साथ उक्त अवधि के दौरान अमेरिका जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता को केवल वीजा जारी करने की आवश्यकता होगी और बाकी काम राधे श्याम (याचिकाकर्ता संख्या 1) और अमित द्वारा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इलाज में साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से शुरू में दो करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है, उसके बाद एक करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है और अंत में इलाज पूरा होने के बाद एक लाख रुपये का भुगतान किया जाना है। उक्त राशि में घर का खर्च, कंपनी में नौकरी, शिकायतकर्ता के बेटे का इलाज और शिकायतकर्ता को ग्रीन कार्ड जारी करना शामिल होगा। इसके बाद आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए संदीप (याचिकाकर्ता संख्या 2) ने राधे श्याम (याचिकाकर्ता संख्या 1) और अमित से शिकायतकर्ता का परिचय कराया और कहा कि वे तीनों एस. आर. लॉजिस्टिक्स के नाम पर एक बड़ी कंपनी चला रहे थे। फिर, उन तीनों ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वे अपने व्यवसाय के संबंध में विभिन्न न्यासों और कंपनियों से जुड़े होते थे और वे शिकायतकर्ता का काम कराने के लिए अपने संपर्कों का उपयोग करते थे। शिकायतकर्ता ने अपने व्यवसाय से और अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से उधार लेकर 2 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की और उक्त राशि अमित और संदीप (याचिकाकर्ता संख्या 2) को 10.10.2019 पर दी और उक्त व्यक्तियों द्वारा कुणाल चोपड़ा की उपस्थिति में राशि की रसीद भी जारी की गई। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया कि चंडीगढ़ स्थित एक ट्रस्ट और आरोपी के एक दोस्त की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली की मदद से वे पूरा काम करवा लेंगे। 11.10.2019 पर संदीप (याचिकाकर्ता संख्या 2) ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसका काम शुरू हो गया है और सभी उक्त व्यक्तियों राधे श्याम (याचिकाकर्ता संख्या 1), अमित और संदीप (याचिकाकर्ता संख्या 2) ने उसे राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा भेजा गया एक मेल और केनरा बैंक द्वारा जारी किए गए

कुछ कागजात दिखाए, जिन पर शाखा प्रबंधक के रूप में अमित सिंह के हस्ताक्षर थे। प्राचीन श्री शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर साढ़े तीन करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद, आरोपी की मांग पर शिकायतकर्ता ने अपने व्यवसाय और रिश्तेदारों से एक करोड़ रुपये की एक और राशि की व्यवस्था की और उसे 19.10.2019 पर आरोपी को सौंप दिया और आरोपी ने उक्त राशि के संबंध में भी एक रसीद जारी की। 29.10.2019 पर, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का वीजा प्राप्त हुआ और पूछने पर, आरोपी ने आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ता का काम दिसंबर, 2019 के महीने में पूरा हो जाएगा। हालाँकि, आरोपी मामले में देरी करता रहा और बार-बार पूछने पर, आरोपी ने शिकायतकर्ता को मुंबई बुलाया जहाँ उसे कुछ लोगों से मिलवाया गया और उन्होंने 15.03.2020 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया। हालाँकि, दिनांक 15.03.2020 तक भी आरोपी ने शिकायतकर्ता के काम में कोई प्रगति नहीं की और जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को सौंपे गए सभी दस्तावेज जाली थे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी से उसके पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस तरह, यह आरोप लगाया गया कि सभी उक्त व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में धोखाधड़ी के अपने कृत्य का समर्थन करने के लिए उसे मूल्यवान राशि और जाली दस्तावेजों के साथ धोखा दिया था और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। उक्त आवेदन के आधार पर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों को 05.08.2020 पर गिरफ्तार किया गया था और उनके प्रकटीकरण बयान दर्ज किए गए थे, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के कहने पर क्रमशः 70,000/- और 30,000/- की राशि बरामद की गई थी।

राधे शाम सिंगल एक और दूसरा बनाम हरियाणा राज्य

83

और एक (नमित कुमार, जे.)

(3) इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने समझौता के आधार पर नियमित जमानत देने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया। नतीजतन, अदालत में शिकायतकर्ता-रवि कुमार गुप्ता के इस आशय के बयान पर कि उनके और याचिकाकर्ताओं के बीच एक समझौता किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने छह महीने की अवधि के भीतर पूरा भुगतान करने का बीड़ा उठाया है, याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा दिनांक 28.8.2020 के आदेश के अनुसार नियमित जमानत दी गई। हालाँकि, शिकायतकर्ता-रवि कुमार गुप्ता ने याचिकाकर्ता को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए धारा 439 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 28.08.2020 के आदेश पर एक आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने पक्षों के बीच किए गए समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर उन्होंने बेईमान इरादे से जमानत प्राप्त की है। अतिरिक्त सत्र, न्यायाधीश करनाल ने खुद को संतुष्ट करने के बाद कि याचिकाकर्ताओं ने समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है और अदालत में धोखाधड़ी करके बेईमान इरादे से जमानत हासिल की है, दिनांक 15.09.2022 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश के माध्यम से उनकी जमानत रद्द कर दी। इसलिए यह याचिका है।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जी. सी. शाहपुरी प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 15.09.2022 (अनुलग्नक पी-8) का विवादित आदेश पूरी तरह से गलत और अस्थिर है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कभी भी शिकायतकर्ता को कोई चेक जारी नहीं किया था, हालांकि, दिनांक 13.08.2020 (अनुलग्नक पी-2) के समझौते की आड़ में, उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 1 की पत्नी से चेक प्राप्त किया, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया गया था और जो अनादरित हो गया था, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि जमानत को उसी अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया है जिसने जमानत दी थी जो अनुचित है क्योंकि यह अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने के बराबर होगा जो कानून के तहत अनुमत नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि जमानत देने के समय, अदालत ने समझौते के तथ्य के संबंध में कोई नियम और शर्तें लागू नहीं की थीं कि उक्त समझौते के किसी भी उल्लंघन के मामले में शिकायतकर्ता जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा और चूंकि याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, इसलिए विवादित आदेश पूरी तरह से गलत है और इसे रद्द किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत द्वारा मामले के गुण-दोष पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया था और इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत जमानत रद्द करने की अनुमति नहीं है। उनकी दलीलों का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फेसलो को सामने रखा जो के बिमान चटर्जी बनाम संचिता चटर्जी और अन्य ,स्पेशल लीव अपील करने के लिय (सीआरएल।) कर्मक संख्या 4202-4203/2020 (जी. सेल्वाकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य आदि) इस न्यायालय ने 2021 के सी. आर. एम.-एम.-40903 (सुरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य) में 04.10.2021 पर निर्णय लिया।

राधे शाम सिंगल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

85

और एक और (नमित कुमार, जे.)

(5) इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री पी. एस. अहलूवालिया ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की जमानत को रद्द करने का दिनांकित 15.09.2022 आदेश (अनुलग्नक पी-8) पूरी तरह से कानूनी और वैध है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को दिनांकित समझौते (अनुलग्नक पी-2) को ध्यान में रखते हुए नियमित जमानत की रियायत दी गई थी और चूंकि समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए 25 लाख रुपये का अनादरित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की जमानत को रद्द करना पूरी तरह से उचित है क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से समझौते के आधार पर अदालत से जमानत प्राप्त करने का बेईमान इरादा था और यह न केवल प्रतिवादियों के साथ बल्कि अदालत के साथ भी धोखाधड़ी के बराबर है। उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने निर्णयों पर भरोसा रखा पंकज एस. बंसल बनाम अरुण कुमार रामस्वरूप अग्रवाल, 2022 का सी. आर. एम.-एम.-19983-श्रद्धा खंडेलवाल बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (पी. एंड. एच.); सुरजीत कौर बनाम राज्य , 2020 का सी. आर. एम.-एम.-42259-कुमारी जूही राय बनाम बिहार राज्य (पटना) और जय कृष्ण बनाम पंजाब राज्य .

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

(7) याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत द्वारा दिनांक 28.08.2020 के आदेश अनुसार नियमित जमानत की रियायत दी गई थी और जमानत देते समय, आवेदक/आरोपी (वर्तमान याचिकाकर्ताओं) के विद्वान वकील का तर्क दर्ज किया गया था कि शिकायतकर्ता-रवि कुमार गुप्ता ने आरोपी के साथ समझौता किया था, जिसकी प्रतिलिपि जेल उपाधीक्षक, जिला जेल, करनाल द्वारा विधिवत सत्यापित जमानत दिनांक 13.8.2020 को आवेदन के साथ संलग्न की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता-रवि कुमार गुप्ता अदालत में मौजूद हैं और वह समझौते के तथ्य के संबंध में बयान देने के लिए तैयार हैं और उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर इस मामले में आवेदक-अभियुक्त को जमानत की रियायत दी जाती है। नतीजतन शिकायतकर्ता-रवि कुमार गुप्ता ने इस आशय का एक बयान दिया कि उसके और आवेदक-अभियुक्त के बीच एक समझौता किया गया है जिसके तहत आवेदक-अभियुक्त ने छह महीने की अवधि के भीतर पूरा भुगतान करने का बीड़ा उठाया है और समझौते को देखते हुए, अदालत द्वारा आवेदक-अभियुक्त को नियमित जमानत की रियायत दिए जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जमानत देते हुए "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता-श्री रविकुमार द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए" दर्ज किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आलोक में अदालत में रवि कुमार गुप्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों को आगे सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

1 2004 (3) एस. सी. सी. 388

2 2020 (2) एन. आई. जे 102:2021(1) बीसी 150 (बॉम्बे)

3 2015 (5) आर. सी. आर. (सी. आर. एल) 798 (दिल्ली)

4 2010 (1) आर. सी. आर. (सी. आर. एल) 249 (पी एंड एच)

86 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023(1)

(8) जहाँ तक बिमान चटर्जी (उपरोक्त) में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय का संबंध है, उक्त निर्णय पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पंकज एस. बंसल के मामले (उपरोक्त) में विचार किया गया है और यह निम्नानुसार देखा गया है:-

“46 प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले विमान चटर्जी बनाम संचिता चटर्जी और अन्य।2004 में सी. आर. आई. एल. जे. 1451 पर भरोसा किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट की और उन्होंने कहा था कि समझौते की शर्तों को पूरा न करना जमानत देने या रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत का अनुदान संहिता के अध्याय XXXIII के प्रावधान द्वारा नियंत्रित होता है और उसमें प्रावधान किसी समझौते के आश्वासन के आधार पर जमानत देने या ऐसे समझौते की शर्तों के उल्लंघन के लिए जमानत को रद्द करने पर विचार नहीं करता है। मामले के तथ्यों में, कोई लिखित समझौता नहीं किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई थी कि समझौते की संभावना थी। यह बताया गया कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही थी और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का सवाल ही नहीं उठा।”

(9) बिमान चटर्जी (उपरोक्त) के मामले में उक्त निर्णय पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा कुमार जूही राय (उपरोक्त) के मामले में भी विचार किया गया है, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“17. बिमान चटर्जी (उपरोक्त) के मामले में तथ्य पूरी तरह से अलग थे।

उस मामले में पक्षकारों के बीच न तो कोई समझौता और ना ही बातचीत हुई और न ही जमानत देने से पहले अभियुक्त द्वारा कोई वचन दिया गया था। उस पृष्ठभूमि में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पक्षकारों के बीच समझौता करने के आश्वासन के उल्लंघन पर किसी अभियुक्त की जमानत रद्द नहीं की जा सकती है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता। बिमान चटर्जी (उपरोक्त) के मामले में 2 से 4 वर्तमान मामले में पूरी तरह से गलत धारणा है और यह विरोधी पक्ष संख्या को नहीं बचाएगा।

राधे शाम सिंगल एक और बनाम हरियाणा राज्य

87

और एक और (नमित कुमार, जे.)

(10) इसलिए, बिमान चटर्जी के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।

(11) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णय भी उनके लिए कोई मददगार नहीं हैं।

धोखाधड़ी सब कुछ खराब कर देती है

(12) याचिकाकर्ताओं ने अदालत के साथ और प्रतिवादी नंबर 2 रवि कुमार गुप्ता के साथ भी दिनांक 13.08.2020(अनुलग्नक-पी-2) को धोखाधड़ी की, जिसमें पहले शिकायतकर्ता के साथ समझौता किया गया और उक्त समझौते के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित जमानत देने के लिए आवेदन दायर किया और अदालत के समक्ष उनके वकील का यह तर्क था कि चूंकि मामले से समझौता किया गया है और शिकायतकर्ता समझौते के संबंध में अदालत के समक्ष बयान देने के लिए तैयार है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत की रियायत दी जा सकती है। अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता के बयान के साथ समझौते पर विचार करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत की रियायत दी। हालांकि, बाद में याचिकाकर्ताओं ने समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया क्योंकि समझौते के संदर्भ में जारी किए गए चेक का अनादरित किया गया था। जय कृष्ण (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत ने कहा है कि धोखाधड़ी से सब कुछ दूषित हो जाता है और कोई भी व्यक्ति अपनी धोखाधड़ी का लाभार्थी नहीं हो सकता है और धोखाधड़ी करके अदालत से प्राप्त लाभकारी आदेश धोखाधड़ी का परिणाम है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“9. यह सवाल कि क्या आरोपी ने जमानत की रियायत का दुरुपयोग किया है, इस मामले में एक दूसरा सवाल बन जाता है। प्राथमिक सवाल यह है कि क्या आरोपी ने धोखाधड़ी और गलत तरीके से पेश करके जमानत हासिल की है और हेरफेर किए गए रिकॉर्ड का आधार है। मैंने रिकॉर्ड का विस्तार से उल्लेख किया है जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि 2006-07 के बीच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। लेकिन, उन्होंने डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की। जुलाई, 2007 तक कोई गंभीर बीमारी नहीं दिखाई

गई।केवल जुलाई, 2007 में मिर्गी की बीमारी को निदान में डाला गया था और कुछ गोली निर्धारित की गई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत से जमानत हासिल करने में मदद करने के लिए डॉक्टर ने आरोपी के साथ मिलकर ऐसा किया था।पीजीआई, चंडीगढ़ के चार विशेषज्ञों के डॉक्टरों के बोर्ड की रिपोर्ट इस संबंध में एक संकेतक है।कोई यह समझने में विफल रहता है कि पीजीआई, चंडीगढ़ के चार वरिष्ठ डॉक्टरों को आरोपी के खिलाफ गलत राय और झूठी रिपोर्ट क्यों देनी चाहिए।यह तय किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी धोखाधड़ी का लाभ नहीं उठा सकता है।धोखाधड़ी सब कुछ खराब कर देती है।प्रस्तुत रजिस्ट्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि छेड़छाड़ की गई है।जमानत देने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट ही एकमात्र आधार थी।रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी का लगातार इलाज चल रहा है।मेडिकल रिपोर्ट केवल जमानत हासिल करने का एक साधन था।इस तथ्य के बावजूद कि आरोपी ने जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है या नहीं, वह अपनी धोखाधड़ी का लाभ नहीं दे सकता है।अभियुक्त और डॉक्टर में उच्च न्यायालय को गुमराह करने का साहस था।मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का हकदार नहीं है।केवल यह तथ्य कि जमानत धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है, जमानत के आदेश को याद करने के लिए पर्याप्त है।अब यह सर्वसम्मत न्यायिक राय है कि धोखाधड़ी सभी कृत्यों को दूषित करती है।भले ही धोखाधड़ी करके अदालत से एक लाभकारी आदेश प्राप्त किया जाता है, लेकिन धोखाधड़ी का परिणाम होने के कारण आदेश को ही छोड़ना पड़ता है।

88

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2023(1)

10. धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह न्यायालय का संवैधानिक और सामाजिक दायित्व भी है।मामले में अभिलाष विनोद कुमार जैन (श्रीमती) बनाम कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य, 1995 (3) आर. सी. आर. (आपराधिक) 397:1995(3) आर.आर.आर 215:(1995) 3 एस.सी.सी 732, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"18...एक लाभकारी प्रावधान की व्याख्या करते हुए, न्यायालय को इस सिद्धांत पर हमेशा जीवित रहना चाहिए कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह चतुराई से कानून की रक्षा करे और कानूनी धोखाधड़ी को हराना और रोकना है"।

89

राधे श्याम सिंगल एक और एन्नोर बनाम हरियाणा राज्य

एक और (नमित कुमार, जे.)

11. पुनः ए. वी. पापय्या शास्त्री और अन्य बनाम ए. पी. सरकार और अन्य के मामले में, 2007 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 431: 2007(2) आर.ए.जे 451:ए. आई. आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट 1546, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"39...एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि आदेश एक सफल पक्ष द्वारा धोखाधड़ी का अभ्यास करके या खेलकर प्राप्त किया गया था, तो इसे दूषित कर दिया जाता है।इस तरह के आदेश को कानूनी, वैध या कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।इसका अस्तित्व नहीं है और इसे खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती

है। यह कानून का मूल सिद्धांत है और इसे और विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह कहा गया है कि धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय, डिक्री या आदेश को अमान्य माना जाना चाहिए, चाहे वह पहली बार की अदालत द्वारा हो या अंतिम अदालत द्वारा। और इसे प्रत्येक न्यायालय द्वारा गैर-प्रतिष्ठता माना जाना चाहिए, चाहे वह उच्चतर हो या निम्नतर "

12. उपरोक्त तय किए गए प्रस्ताव को दोहराते हुए ए. वी. पापय्या शास्त्री और अन्य बनाम ए. पी. सरकार और अन्य के मामले में, (2007) 4 एस. सी. सी. 221, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"21. अब, यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई निर्णय या आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो इसे कानून में निर्णय या आदेश नहीं कहा जा सकता है। तीन शताब्दियों से पहले, मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने घोषणा की;

"धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है, चर्च संबंधी या अस्थायी।

22. इस प्रकार यह कानून का तय प्रस्ताव है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अमान्य है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है। प्रथम न्यायालय या अंतिम न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय, डिक्री या आदेश को प्रत्येक न्यायालय, वरिष्ठ या आंतरिक द्वारा अमान्य माना जाना चाहिए। इसे किसी भी न्यायालय में, किसी भी समय, अपील, संशोधन, रिट या यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।

23. लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड के प्रमुख मामले में v. ब्यासले, (1956) 1 ऑल ई. आर. 341:(1956) 1 क्यूबी 702:(1956) 2 डब्ल्यूएलआर **502**, लॉर्ड डेनिंग ने कहा:

" न अदालत का फैसला, न मंत्री का कोई आदेश टिकने दिया जा सकता है, अगर यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है।

90

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2023(1)

24. डचेस ऑफ किंगस्टोन में, स्मिथ के प्रमुख मामले, 13 वां संस्करण। पी. 644, धोखाधड़ी की प्रकृति को समझाते हुए, डू ग्रे, सी. जे. ने कहा कि हालांकि एक निर्णय न्यायिक होगा और भीतर से महाभियोग योग्य नहीं होगा, लेकिन यह बिना किसी कारण के महाभियोग योग्य हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हालांकि यह दिखाने की अनुमति नहीं है कि अदालत 'गलत' थी, यह दिखाया जा सकता है कि यह 'गुमराह' किया गया था। गलती और छल के बीच एक आवश्यक अंतर है। इस भेद का स्पष्ट निहितार्थ यह है कि किसी निर्णय को दरकिनार करने की कार्रवाई को इस आधार पर नहीं लाया जा सकता है कि इसका निर्णय गलत तरीके से किया गया है, अर्थात् गुण-दोष के आधार पर निर्णय ऐसा था जिसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे दरकिनार किया जा सकता है, यदि अदालत पर निर्णय देने के लिए थोपा गया था या धोखा दिया गया था।

25. यह कहा गया है; धोखाधड़ी और न्याय कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं (फ्रुसेट जस नुनक्वाम कोहेबिटेंट); या धोखाधड़ी और छल से किसी को भी लाभ नहीं होना चाहिए। (फ्रौस एट डोलुस नेमिनी पत्रोसिनारी देबेंत)

26. धोखाधड़ी को जानबूझकर धोखे के एक कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दूसरे का अनुचित लाभ उठाकर कुछ अनुचित या अनुचित लाभ प्राप्त करने की योजना है। धोखाधड़ी में एक दूसरे के नुकसान पर लाभ होता है। यहां तक कि अधिकांश गंभीर कार्यवाही भी दूषित हो जाती है यदि वे धोखाधड़ी से प्रेरित होती हैं। धोखाधड़ी इस प्रकार एक बाह्य संपार्श्विक कार्य है जो सभी न्यायिक कृत्यों को दूषित करता है, चाहे वह रेम से हो या व्यक्तिगत रूप से। 'मुकदमे की अंतिमता' के सिद्धांत को इस बेतुकेपन की सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि इसका उपयोग बेईमान और धोखाधड़ी वाले वादियों द्वारा उत्पीड़न के इंजन के रूप में किया जा सकता है।

27. एस. पी. चेंगलवराय नायडू (मृत) बनाम एल. आर.एल. आर. और अन्य द्वारा जगन्नाथ (मृत), 1994 (1) आर. आर. आर. 253: (1994)1 एससीसी 1:जे. टी. 1994 (6) एस. सी. 331, इस न्यायालय के पास धोखाधड़ी के सिद्धांत और एक पक्ष द्वारा प्राप्त निर्णय पर उसके प्रभाव पर विचार करने का अवसर था। उस मामले में, एक ए ने एक पंजीकृत विलेख द्वारा, सी के पक्ष में वाद संपत्ति में अपने सभी अधिकारों को त्याग दिया, जिसने संपत्ति बी को बेच दी। उस तथ्य का खुलासा किए बिना, ए ने बी के खिलाफ कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया और प्रारंभिक डिक्री प्राप्त की। अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन के लंबित होने के दौरान, बी को सी के पक्ष में ए द्वारा रिहाई विलेख के तथ्य के बारे में पता चला। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि डिक्री अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थी और यह एक अमान्य था। निचली अदालत में तर्क को बरकरार रखा और आवेदन को खारिज कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि "वादी पर एक सही मामले के साथ अदालत में आने और इसे सही सबूत से साबित करने का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं था।" बी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

राधे शाम सिंगल और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य

91

और एक और (नमित कुमार, जे.)

28. अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को 'पूरी तरह से विकृत' बताते हुए, न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने कहा:

"कानून की अदालतें पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं। अदालत में आने वाले व्यक्ति ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

33. अपील की अनुमति देते हुए और आदेशों को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

"15. यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि अपीलकर्ता कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर पहली बार में दावे का विरोध करेगी क्योंकि अपीलकर्ता कंपनी को उस स्तर पर दावेदारों द्वारा कथित रूप से की गई धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यदि बीमा कंपनी को पता चलता है कि मुआवजे के लिए दावा निकालने के

भयावह उद्देश्य के साथ कोई संदिग्ध साजिश रची गई है, और यदि उस समय तक पुरस्कार पहले ही पारित हो चुका है, तो कंपनी के लिए पुरस्कार के खिलाफ वैधानिक अपील दायर करना संभव नहीं होगा। केवल अपील दायर करने के लिए सीमा के प्रतिबंध के कारण, बल्कि अपील पर विचार भले ही देरी को माफ किया जा सके, क्या वह तब तक किए गए अभिवचनों से तैयार किए गए मुद्दों तक ही सीमित रहेगा।

16. इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च स्तर की धोखाधड़ी के रूप में नए खोजे गए तथ्यों के आधार पर आदेश को वापस लेने के लिए कदम उठाने के उपाय को ऐसी स्थिति में पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण को अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने के लिए शक्तिहीन नहीं माना जा सकता है यदि वह आश्वस्त है कि आदेश धोखाधड़ी या ऐसे आयाम के गलत प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया गया था जो दावे के आधार को प्रभावित करेगा।

17. अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा लगाए गए आरोप, कि दावेदार दुर्घटना में शामिल नहीं थे, जिसे उन्होंने दावा याचिकाओं में वर्णित किया है, को मामले की आगे की जांच के बिना दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त आरोप के द्वारा विशेष रूप से खंडन नहीं किया गया। जब पुरस्कारों को वापस लेने के लिए आवेदनों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। दावेदारों ने तब अपने प्रतिरोध को इस दलील तक सीमित कर दिया कि वापस बुलाने के लिए आवेदन कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है। इसलिए, हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि बीमा कंपनी द्वारा अब धोखाधड़ी के आरोप के आधार पर दावे का विरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि हम बीमा कंपनी को उनकी दलीलों को साबित करने का अवसर देने में विफल रहते हैं तो यह निश्चित रूप से न्याय की गंभीर विफलता का कारण बन सकता है।

(13) जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता-रवि कुमार गुप्ता के साथ धोखाधड़ी की है क्योंकि उनके बेटे का इलाज कराने के बहाने, जो स्थायी रूप से विकलांग था, विदेश से उससे पैसे निकाले। इसके बाद शिकायतकर्ता के साथ समझौते के आधार पर उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत से दिनांक 28.08.2020 के आदेश के अनुसार नियमित जमानत मिली, लेकिन समझौते के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके अतिरिक्त Rs.25lacs के आंशिक भुगतान के लिए जारी किए गए चेक का भी अनादरित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के साथ-साथ निचली अदालत के साथ धोखाधड़ी की है।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को किसी भी योग्यता के बिना खारिज कर दिया जाता है।

अंकित ग्रेवाल

आशा रानी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

